

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- सं. 3-4(2) संविदा / च.श्रे. / अभि / 2019 / पार्ट- । / १२९१२-१२

दिनांक २४/१२/२०१९

- आदेश -

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. १७(१०)डी.ओ.पी.ए.२ / ९४ दिनांक ०८.०२.२०१८ में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे/पे लेवल से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे/पे लेवल के अनुसार (परिशिष्ठ-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या ५ में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	वि.वि.
1.	2	3	4	5	6
1.	श्री अशोक कुमार शर्मा, च.श्रे.कर्म.	19.02.1960	कलेक्ट्रेट कार्यालय, अजमेर	स.नि.अ. अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री गेहीमल, च.श्रे.कर्म.	11.07.1958	कार्यालय तहसील अजमेर	स.नि.अ. अजमेर	प्रथम बार
3.	श्री त्रिलोक चन्द, च.श्रे.कर्म.	01.01.1958	कार्यालय तहसील, कनवास, कोटा	स.नि.अ. कोटा	प्रथम बार
4.	श्री बिस्मुराम, च.श्रे. कर्म.	20.11.1959	सनिअ भरतपुर	सनिअ भरतपुर	प्रथम बार
5.	श्री नारायण सिंह, च.श्रे.कर्म.	20.01.1960	सनिअ चितौड़गढ़	सनिअ चितौड़गढ़	प्रथम बार
6.	श्री गटू खराडी च.श्रे.कर्म.	28.01.1958	सा.नि.विभाग, डूंगरपुर	सनिअ डूंगरपुर	द्वितीय बार
7.	श्री मनोहर लाल तेली, च.श्रे. कर्म.	10.04.1959	सनिअ उदयपुर	सनिअ उदयपुर	द्वितीय बार
8.	श्री तेज सिंह राजपूत च.श्रे.कर्मचारी,	18.04.1958	सनिअ उदयपुर	सनिअ उदयपुर	द्वितीय बार
9.	श्री कुम्भाराम, च.श्रे.कर्म.	02.03.1959	सनिअ नागौर	सनिअ नागौर	द्वितीय बार

24/12/2019  
Y

10.	श्री ईश्वरी प्रसाद, च.श्री कर्म	09.05.1958	सनिअ भरतपुर	सनिअ भरतपुर	द्वितीय बार
-----	------------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या कमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्त आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 109/गृह-10/ 2020 दिनांक 01.12.2020 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

  
 (राजेन्द्र कुमार सैनी)  
 निदेशक अभियोजन,  
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन-----
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
5. लेखा शाखा / रक्षित पत्रावली

  
 निदेशक अभियोजन,  
 राजस्थान, जयपुर